

न्यायालय:—अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 03/14 क्लेम

- 1— बनबारी लाल शर्मा पुत्र श्री घमण्डीलाल शर्मा आयु 27 साल
- 2— श्रीमती शारदादेवी पत्नी स्व0 घमण्डीलाल आयु 44 साल जाति ब्राह्मण निवासी विजली आफिस के पीछे वार्ड नं0 18 गोहद चौराहा गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-----आवेदकगण

बनाम

- 1— प्रेमसिंह नरवरिया पुत्र सरनाम सिंह आयु 45 साल निवासी सोनेलाल का पुरा थाना अटेर जिला भिण्ड म0प्र0
- 2— रसूलखां पुत्र दिलदार खां आयु 60 साल जाति मुसलमान निवासी ग्राम गढिया रायपुर थाना महुआ जिला मुरैना म0प्र0
- 3— प्रबन्धक मगमा एच0डी0आई0जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0मि0 मगमा हाउस 24 पार्क स्टेट कोलकता 70001 टोलफ्री नं0180030032202

-----प्रतिवादीगण

आवेदक द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता

अनावेदक क्रं0 1,2 द्वारा श्री तेजपालसिंह तोमर अधिवक्ता

अनावेदक क्रं03 द्वारा श्री के0पी0राठोर अधिवक्ता

//अधि—निर्णय//

//आज दिनांक 20.12.2014 को घोषित किया गया //

01. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है जिसमें आवेदकगण ने मोटरयान

दुर्घटना के फलस्वरूप मृतक घमण्डीलाल की मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक बारिस होने के आधार पर वाहन महिन्द्रा टैक्टर क्रमांक एम.पी. 06 ए.ए. 8600 के चालक, मालिक एवं बीमा कम्पनी के विरुद्ध 30,00,000/- रूपए एवं व्याज क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाए जाने बावत् पेश किया है।

02. यह अविवादित है कि वाहन महिन्द्रा टैक्टर डी0आई0 लाल रंग का जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी. 06 ए.ए. 8600 का स्वामी अनावेदक क्रमांक 2 रसूल खॉ है। उक्त टैक्टर का अनावेदक क्रमांक 1 प्रेमसिंह नरवरिया चालक है। उक्त टैक्टर अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी से बीमित है।

03. आवेदकगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार से है कि आवेदक क्रमांक 1 के पिता तथा आवेदक क्रमांक 2 के पति दिनांक 20.11.2013 को करीब 05:30 बजे शाम ग्राम काथा से विश्वनाथ नरवरिया के लडके की बारात से टैक्टर से वापस आ रहे थे जो कि महिन्द्रा डी0आई0 लाल रंग का 475 जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम0पी0 06 ए.ए. 8600 है में बैठे थे । उक्त वाहन टैक्टर घटना के समय अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा चलाया जा रहा था तथा वाहन अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का था और अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित था। अनावेदक क्रमांक 1 जो कि घटना के समय उपरोक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और ग्राम दौनियापुरा गोरमी और मेहगॉव के बीच उक्त टैक्टर का संतुलन बिगड़ गया जिससे टैक्टर की ट्राली पलट जाने से घमण्डीलाल उसके नीचे आने से उनके शरीर में चोटें आई और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट थाना गोरमी में की गई जिस पर से अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना उपरांत न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में प्रकरण संचालित है।

04. आवेदकगण के द्वारा अपने आवेदनपत्र में यह भी बताया गया है कि मृतक घमण्डीलाल की मृत्यु के समय उम्र 45 साल की थी और कृषि कार्य कर के एवं दूध का व्यवसाय कर के 8,000/- रूपए प्रति माह की आमदनी अर्जित कर लेता था। आवेदकगण मृतक घमण्डीलाल पर आश्रित है। दुर्घटना में उनकी अचानक ही मृत्यु हो जाने से आवेदकगण को शारीरिक एवं मानसिक कष्ट भी हुआ है। ऐसी दशा में क्षतिपूर्ति के रूप में 30,00,000/- रूपए अनावेदकगण से संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से दिलाए जावे और उक्त राशि पर दावा पेश होने के

उपरांत बसूली तक 12प्रतिशत ब्याज दिलाये जाने का निवेदन किया है।

05. अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने अपने जबाब में स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त आवेदकगण के आवेदनपत्र के शेष अभिकथन को इंकार किया है। उनके द्वारा अपने जबाब में यह बताया गया है कि मृतक की आयु 45 वर्ष लिखी है जो असत्य रूप से मनगढ़ंत कम कर लिखी गई है जबकि मृतक की उम्र 65 साल की है। आवेदकगण के द्वारा अपना पता भी सही नहीं लिखा गया है। फर्जी रूप से पुलिस थाना गोरमी में ट्रैक्टर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है। अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा तेजी व लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने वाली बात भी गलत रूप से उल्लेख करते हुए आवेदक ने पुलिस थाना गोरमी से मिलकर फर्जी आधारों पर ट्रैक्टर को फंसाया गया है। वह कभी भी किसी बारात में ट्रैक्टर को लेकर नहीं गया था। ऐसी दशा में तेजी व लापरवाही से ट्रैक्टर चलाकर पलटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि यदि किसी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न होता भी है तो वह वाहन बीमित होने से अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी का है। अनावेदकगण का कोई दायित्व प्रतिकर अदायगी हेतु नहीं है।

06. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र में किये गये अभिवचनों को इन्कार करते हुए प्रश्नाधीन ट्रैक्टर के द्वारा दुर्घटना घटित होने से इन्कार किया है। उसके द्वारा वाद में यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन ट्रैक्टर उसके चालक के द्वारा वैद्य एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेन्स के बिना चलाया जा रहा था जिस कारण बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। इसके अतिरिक्त दुर्घटना दिनांक को मृतक उक्त वाहन में अनाधिकृत यात्री के रूपमें यात्रा कर रहा था। ट्रॉली में भी यात्रियों को बिठाने के लिये कोई सीट नहीं होती है, इस कारण बीमा पॉलिसी में उसका रिस्क कवर नहीं होता है। उक्त वाहन ट्रैक्टर जिसके साथ ट्रॉली भी अटैच है उसका कोई परमिट, फिटनेस भी पेश नहीं की गई है, इस आधार पर भी बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। ऐसी दशा में अनावेदक क्र03 बीमा कंपनी का प्रतिकर की अदायगी हेतु कोई दायित्व न होने से आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. आवेदकपक्ष एवं अनावेदक पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी है जिस पर निकाले गये निष्कर्ष उनके सामने अंकित किये जा रहे हैं ।

क्रं0	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1—	क्या दिनांक 20.11.13 को करीब 5.30 बजे गोरमी मेहगांव आम रोड पर वाहन महिन्द्रा डी0आई लाल रंग का 475 एम0पी0-06 ए0ए0-8600 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाते हुए ट्रैक्टर को पलटाने के फलस्वरूप मृतक घमण्डीलाल पुत्र मुंशीलाल की मृत्युकारित की?	
2	क्या उपरोक्त वाहन ट्रैक्टरट्रॉली मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का तथा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था? यदि हाँ तो प्रभाव?	
3	क्या मृतक पशुपालन एवंदूध विक्रय कर आठ हजार रुपये प्रतिमाह की आमदनी अर्जित कर लेता था?	
4	क्या मृतक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है? यदि हाँ तो किस से एवं कितना कितना?	
5	सहायता एव व्यय ?	

//निष्कर्ष के आधार//

बिन्दु क्रमांक-1:-

08. आवेदक बनवारी लाल शर्मा आ0सा0-1 ने अपने शपथ पत्र प्रस्तुत साक्ष्य में आवेदन पत्र में किये गये अभिवचनों का समर्थन करते हुए बताया है कि दिनांक 20.11.13 को साढ़े पांचबजे ग्राम दोनियापुरा के आगे आम रोड पर ट्रैक्टर महिन्द्रा लाल रंग की जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक-एम0पी0-06 ए0ए0-8600 को उसका

स्वामी अनावेदक क०-1 प्रेमसिंह तेजी व लापरवाही से चला रहा था। जो कि अनावेदक क०-2 के स्वामित्व का है। उसके द्वारा ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाने के फलस्वरूप ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई जिससे उसके पिता घमण्डली लाल के शरीर में गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। आवेदक के द्वारा आपराधिक प्रकरण से प्राप्त दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि पेश की गई हैं जिनमें अभियोग पत्र प्र०पी०-1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-2, नक्शामौका प्र०पी०-3, आहत रामकरन, कुंअरसिंह, प्रदीपसिंह, महेन्द्र, व रामवीर की मेडिकल रिपोर्ट प्र०पी०-4 लगायत 8 तथा मृतक घमण्डीलाल की शव परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी०-9, गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०-10, मेकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र०पी०-11, संपत्ति जप्ती पत्रक प्र०पी०-12 और संपत्ति सुपुर्दगीनामा प्र०पी०-13, वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी, ड्रायविंग लायसेन्स व वोटर कार्ड की फोटोकॉपी भी उसके द्वारा पेशकी गई हैं।

09. प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी को सुझाव दिये जाने पर उसने इसबात को स्वीकार किया है कि घटना के समय वह ट्रैक्टर में ही बैठा हुआ था। कण्डिका-6में बताया है कि वह और उसके पिता बारात में गये थे। इस प्रकार उक्त साक्षी घटनाके समय घटनास्थल पर मौजूद होना प्रमाणित है। साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूपसे यह बताया गया है कि उक्त वाहन ट्रैक्टर को उसका चालक तेजी एवं लापरवाही से चला रहा था जिसके फलस्वरूप ट्रॉली पलटनेसे उसका पिताकी दबने से मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस बिन्दु पर उक्त साक्षी का कथन प्रतिपरीक्षण में अखण्डनीय रहा है।

10. आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी श्रीमती शारदा आवेदक साक्षी कं०2 जो कि मृतक घमण्डी की पत्नी है, के द्वारा भी उपरोक्त बातों का समर्थन किया गया है। यद्यपि उक्त साक्षी घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी किन्तु उसे घटना के उपरान्त घटना के बारे में पता चला था तथा उसके द्वारा अपने मृत पति को देखा गया। इस आधार पर उक्त साक्षियों के कथन के आधार पर भी दुर्घटना घटित होने की पुष्टि होती है।

11. इसके अतिरिक्त आवेदक पक्ष के द्वारा साक्षी कुंअरसिंह अ०सा०-3 और रामकरन अ०सा०-4 के कथन भी कराये गये हैं। उक्त दोनों साक्षीगण जो कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं, के द्वारा भी अनावेदक क०-1के द्वारा घटना दिनांक को ट्रैक्टर ट्रॉली तेजी एवं लापरवाही से चलाने और संतुलन बिगड़ जाने से उसका

पलट जाना और जिसमें घमण्डीलाल की दबकर मृत्यु होना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण उपरान्त इस बिन्दु पर उनके द्वारा किया गया कथन किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं हुआ है। अतः उक्त साक्षी इस बिन्दु पर विश्वसनीय पाये जाते हैं।

12. आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर भी आवेदक के द्वारा किये गये अभिवचन की पुष्टि होती है जो कि घटना के पश्चात उसी दिन बिना किसी विलंब के घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गोरमी जिला भिण्ड में दर्ज कराई गई है, जिसमें स्पष्ट तौर से ट्रैक्टर जो कि अनावेदक क्र0-2 के स्वामित्व का है, उसके चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाने के फलस्वरूप दुर्घटना कारित किये जाने का उल्लेख है, जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्र0पी0-2 से स्पष्ट है। घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-3, उक्त दुर्घटना में अन्य आहतों के आई हुए चोटों के संबंध में मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0-4 लगायत 8, मृतक घमण्डीलाल का शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी0-9 है जिसमें कि मृतक की मृत्यु का कारण सफोकेशन से होना बताया गया है। अनावेदक क्र0-1 की गिरफ्तारी प्र0पी0-10 के अनुसार की गई है तथा वाहन ट्रैक्टर और उसके कागजातों को जप्ती प्र0पी0-12 के अनुसार की गई है। मेकेनिकल रिपोर्ट प्र0पी0-11 है जिसमें कि ट्रॉली के किनारे टेडे होने का उल्लेख है। उक्त वाहन को अनावेदक क्र0-1 के द्वारा सुपुर्दुगीनामा पर लिया गया है जो कि सुपुर्दुगीनामा प्र0पी0-2 है। उक्त प्रकरण में पुलिस थाना गोरमी द्वारा विवेचना की जाकर अनावेदक क्र0-1 के विरुद्ध अभियोग पत्र अंतर्गत धारा-279, 337, 304 ए भा0द0वि एवं धारा-39/192 एम0व्ही0 एक्ट का प्र0पी0-1 का पेश किया गया है।

13. उक्त दस्तावेजों के आधार पर भी इस बात की पुष्टि होती है कि घटना दिनांक को अनावेदक क्र0-1 के प्रश्नाधीन वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली को तेजी व लापरवाही से चलाये जाने के फलस्वरूप ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और उससे मृतक घमण्डी लाल की मृत्यु हुई।

14. आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के प्रतिखण्डन में अनावेदक पक्ष के द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। यहां तक कि प्रतिखण्डन अनावेदक क्र0-1 जो कि दुर्घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन को चला रहा था, वह भली-भांति उक्त तथ्य का प्रतिखण्डन कर सकता था किन्तु अनावेदक पक्ष के द्वारा न तो अनावेदक क्र0-1 का कथन कराया गया है और न

ही उक्त बिन्दु पर किसी अन्य साक्षी का कथन कराया गया है। ऐसी दशा में इस संबंध में आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डनीय रही है।

15. तदनुसार प्रकरण में आई हुई उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि घटना दिनांक को अनावेदक क्र0-1 के द्वारा प्रश्नाधीन वाहन ट्रैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाये जाने के फलस्वरूप वाहन पलट जानेसे मृतक घमण्डी की मृत्यु कारित हुई। वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "हां" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक-3:-

16. वर्तमान बिन्दु को प्रमाणित करने का भार आवेदक पक्ष पर है। आवेदक पक्षने अपने अभिवचनों में यह बताया है कि दुर्घटना के समय मृतक घमण्डीलाल कृषि कार्य करके एवं दूध का व्यवसाय करके आठ हजार रुपये प्रतिमाह आमदनी कर लेता था। इस संबंध में साक्षी बनवारीलाल आ0सा0-1 के द्वारा अपनी साक्ष्य के कथन में घमण्डी द्वारा कृषि एवं दूध के व्यवसाय से प्रतिमाह आठ हजार रुपये अर्जित करना बताया है, किन्तु दूध खरीदने व बेचने के संबंध में कोई भी रजिस्टर, बिल या अन्य कोई प्रमाण पेश नहीं किया है जिससे कि यह दर्शित होता हो कि मृतक घमण्डीलाल दूध का व्यवसाय कर आमदनी अर्जित करता हो। इसी प्रकार कृषि आय के संबंध में कोई भी राजस्व दस्तावेज आवेदक पक्षके द्वारा पेश नहीं किया गया है जिससे भी इस बात की पुष्टि होती हो कि मृतक के पास कितनी कृषि भूमि थी और उसके द्वारा फसल बेची जाने एवं इस आधार पर कोई आमदनी होने बाबत कोई भी प्रमाण नहीं है। आवेदक साक्षी-2 श्रीमती शारदा देवी के द्वारा भी इसबात को स्वीकार किया गया है कि उसने दूध के हिसाब किताब का कोई रजिस्टर या डायरी पेश नहीं की है। इस प्रकार जब कि मृतक घमण्डीलाल के दूध व्यवसाय से आमदनी व कृषि आय से आमदनी बाबत कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं है। उसके दूध विक्रय करने और कृषि से आठ हजार रुपये प्रतिमाह की आमदनी अर्जित कर लेने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु अप्रमाणित रहता है।

बिन्दु क्रमांक-2:-

17. वर्तमान बिन्दु को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्र0-3 बीमा कंपनी पर है जिनके द्वारा अपने अभिवचन में यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को वाहन ट्रैक्टर क्रमांक-एम0पी0-06 ए0ए0-8600 का चालक वाहन को वैद्य एवं

प्रभावी ड्रायविंग लायसेन्स के बिना चला रहा था जिस कारण बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ। इसके अतिरिक्त बीमा पॉलिसी के द्वारा भी आधार मुख्य रूप से लिया गया है कि दुर्घटना दिनांक को मृतक घमण्डी लाल ट्रैक्टरट्रॉली में अनाधिकृत सवारी के रूप में बैठा हुआ था। अनाधिकृत व्यक्ति के लिये कोई प्रीमियम बीमा कंपनी के द्वारा नहीं लिया गया था और उसका कोई रिस्क कवर भी नहीं था। ऐसी दशा में अनाधिकृत व्यक्ति को ट्रैक्टरट्रॉली में डालने के फलस्वरूप उसकी मृत्यु होने से बीमा कंपनी का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व नहीं है।

18— जहां तक घटनादिनांक को अनावेदक क्रमांक—1 ट्रैक्टर ट्रॉली चालक के पास बैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस मौजूद न होने का प्रश्न है। इस बिन्दु पर अनावेदक क्रमांक—1 बीमा कंपनी के द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। इस परिप्रेक्ष्य में अनावेदक क्रं03 के द्वारा लिया गया यह आधार कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन के चालक के पास बैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस मौजूद नहीं था जिस कारण बीमा पॉलिसी एवं मोटर वाहन अधिनियम के शर्तों का उल्लंघन हुआ हो प्रमाणित नहीं होता है।

19. अनावेदक क्रं0—3 बीमा कंपनी के द्वारा लिया गया अन्य आधार कि प्रश्नाधीन वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली अनाधिकृत रूप से सवारी ले जाने के लिये उपयोग में लिया जा रहा था तथा ट्रैक्टर ट्रॉली के सवारी के संबंध में कोई भी बीमा नहीं था और न ही कोई प्रीमियम अदा की गयी थी। इस संबंध में साक्षी के रूप में कंपनी के विधि अधिकारी गगन उपाध्याय अनावेदक क्रं0—3 के साक्षी क्रं0—1 का कथन कराया है, जिन्होंने अपनी साक्ष्य कथन में बताया है कि महिन्द्रा ट्रैक्टर उनकी बीमाकंपनी में दिनांक 09.07.13 से दिनांक 08.07.14 तक के लिये बीमित था। बीमा पॉलिसी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी0—1, रजिस्ट्रेशन की प्रति प्र0डी02 पेश की गई है। उक्त साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह भी बताया गया है कि दुर्घटना दिनांक को ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली भी अटैच थी जो कि उनकी कंपनी में बीमित नहीं थी। मृतक व्यक्ति अनाधिकृत रूप से ट्रॉली में बैठा हुआ था और ट्रैक्टर का उपयोग कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिये किया जा रहा था जिसकारण बीमा शर्तों का उल्लंघन हुआ है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बीमित वाहनका केवल एक व्यक्ति का रिस्क कवर था जो कि चालक का है।

20. प्रकरण में आवेदक पक्ष के द्वारा किये गये अभिवचन एवं प्रस्तुत साक्ष्य से यह

स्पष्ट है कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली बारात को लेकर गई थी। मृतक घमण्डी लाल भी प्रश्नाधीन ट्रैक्टर ट्रॉली में अन्य लोगों के साथ दुर्घटना के समय बैठा हुआ था। उक्त वाहन के संबंध में बीमा पॉलिसी प्र0डी0-1 की पेश है। उसमें मात्र ड्रायवर का रिस्क कवर है, अन्य सवारियों के लिये कोई प्रीमियम अदा किया हो, ऐसा कहीं दर्शित नहीं होता है। इस प्रकार स्वयं आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिवचनों के परिप्रेक्ष्य में वस्तु स्थिति स्पष्ट है कि ट्रैक्टर ट्रॉली बारात की सवारियों ले जा रही थी। उक्त ट्रॉली का कोई भी बीमा नहीं है तथा ट्रैक्टर की बीमा पॉलिसी में भी कहीं चालक के अतिरिक्त अन्य बैठे हुए व्यक्तियों का कोई भी रिस्क कवर होना या कोई प्रीमियम अदा नहीं किया गया है जैसा कि बीमा कंपनी के विधिक अधिकारी गगन उपाध्याय के कथनों से उक्त तथ्य से स्पष्ट होता है।

21. इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन वाहन ट्रैक्टर जो कि कृषि प्रयोजनके लिये उपयोग होता है उसका उपयोग कृषि प्रयोजन में न होकर बारात ले जाने के लिये उपयोग में लाया जा रहा था जो कि प्रकरण में पेश हुई साक्ष्य से स्पष्ट है। उक्त परिप्रेक्ष्य में मिथलेश विरुद्ध बृजेन्द्र सिंह 2007 (1) एम0पी0एल0जे0 315, कमलाबाई विरुद्ध कमलेश 2008(5) एम0पी0एच0टी0 190 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में जो कि वर्तमान घटना में लिप्त बताया गया वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग यात्रियों को ले जाने के उद्देश्य से किया जा रहा था जिसका कि कोई बीमा नहीं कराया गया था। इसके अतिरिक्त उक्त वाहन कृषि प्रयोजन से अन्य उपयोग के लिये लाया गया था। चालक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति का कोई रिस्क कवर नहीं है और न ही कोई प्रीमियम अदा की गई है। उक्त न्याय दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में अनावेदक क0-3 बीमा कंपनी का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व होना निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर चलाया जाना प्रमाणित होता है जिस कारण बीमा कंपनी का प्रतिकर अदायगी का कोई दायित्व नहीं है। तथा वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

बिन्दु क्रमांक-4:-

22. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना एवं वाद प्रश्नों पर निकाले गये निष्कर्ष के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया गया है कि घटना दिनांक को अनावेदक क0-1 द्वारा प्रश्नाधीन वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाते हुए दुर्घटना

कारित की गई थी जिसमें कि मृतक घमण्डीलाल की मृत्यु हुई थी। मृतक घमण्डीलाल की उक्त दुर्घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप उस पर आश्रित एवं विधिक प्रतिनिधि होने के आधार पर आवेदकगण के द्वारा वर्तमान क्षतिपूर्ति आवेदन पत्र पेश किया गया है।

23. मृतक घमण्डी लाल की दुर्घटना में मृत्यु के समय उसकी उम्र तथा उसकी मृत्यु होने के फलस्वरूप प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी एवं प्रतिकर की राशि का जहाँ तक प्रश्न है। सर्वप्रथम मृतक घमण्डी लाल की मृत्यु के समय उसकी उम्र वाबत् विचार किया गया।

24. आवेदकगण के द्वारा अपने आवेदन पत्र में मृतक घमण्डीलाल की दुर्घटना के समय उम्र 45 साल की होना उल्लेखित किया गया है जबकि अनावेदकगण के द्वारा यह आपत्ति ली गई है कि मृत्यु के समय घमण्डीलाल की उम्र 45 वर्ष न होकर उसकी उम्र 60-65 वर्ष की थी। मृतक घमण्डी लाल की मृत्यु के संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण आवेदक पक्ष के द्वारा पेश नहीं किया गया जिससे कि उनकी उम्र का निर्धारण किया जा सकता। इस संबंध में आवेदक साक्षी बनवारीलाल शर्मा आ0सा0-1 ने कण्डिका-5 में अपने पिताकी उम्र 45 वर्ष होना बताया है। तथा शारदा आ0सा0-2 जो कि मृतक की पत्नी है, वह भी पति की उम्र 45 वर्ष की होना बताती है। किन्तु इस संबंध में आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्षी कुंअरसिंह के द्वारा जो कि अपनी उम्र 45 साल होना बताता है, ने यह बताया है कि मृतक घमण्डी लाल उससे 8-10 साल बड़े थे। आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी रामकरन आ0सा0-4 जिसके द्वारा शपथ पत्र में अपनी उम्र 50 वर्ष बतायी है, जबकि कण्डिका-6 में अपनी उम्र 40 वर्ष बताते हुए यह बताया है कि मृतक घमण्डी उससे करीब 20 साल बड़े थे। इस प्रकार आवेदक पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से मृतक की कोई निश्चित उम्र निर्धारित नहीं की जा सकती है बल्कि इस संबंध में आवेदक पक्ष के द्वारा मृतक घमण्डी लाल का शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी0-9 जो कि स्वयं आवेदक के पक्ष का दस्तावेज है, उसमें मृतक घमण्डी लाल की उम्र 60 वर्ष की होना स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। इस संबंध में साक्षी बनवारीलाल आ0सा0-1 के द्वारा प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि जब उसके पिता का पोस्टमार्टम हुआ था तब उस समय वह वहाँ उपस्थित था। इस प्रकार दुर्घटना के समय मृतक की उम्र 45 वर्ष होना प्रमाणित नहीं होती है बल्कि स्वयं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों एवं

उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में मृतक घमण्डी लाल की उम्र 60 वर्ष होनी अभिनिर्धारित की जाती है।

25. दुर्घटना के समय मृतक घमण्डीलाल के आश्रितों की संख्या का जहाँ तक प्रश्न है, आवेदक क्र०-1 बनवारीलाल शर्मा जो कि मृतक का पुत्र होकर वयस्क है, जो कि शादीशुदा होकर उसकी संतानें भी हैं। उक्त साक्षी बनवारी लाल किसी निर्योग्यता से ग्रसित हो जिस कारण वह अपने पिता पर निर्भर मानी जा सके, ऐसा कहीं भी प्रमाणित नहीं होता है। इस परिप्रेक्ष्य में मृतक पर उसे आश्रित होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। मृतक पर आश्रित उसकी पत्नी श्रीमती शारदा आवेदिका क्र०-2 ही होना पायी जाती है।

26. मृतक घमण्डी लाल की आय का जहाँ तक प्रश्न है, पूर्ववर्ती विवेचना से स्पष्ट है कि मृतक के द्वारा दूध का व्यवसाय या कृषि कार्य से किसी प्रकार की आमदनी जो कि आवेदक पक्ष के द्वारा बताई जा रही है, वह प्रमाणित नहीं होती है। यद्यपि मृतक घमण्डी लाल की कोई आय अर्जित होना प्रमाणित नहीं है किन्तु निश्चित तौर से मृतक किसी काम धंधे आदि को कर 3000/- तीन हजार रुपये प्रतिमाह अर्जित कर लेता था, ऐसा मान्य किया जा सकता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में मृतक घमण्डी लाल की आमदनी तीन हजार रुपये प्रतिमाह उपधारित की जाती है। मृतक पर आश्रित उसकी पत्नी श्रीमती शारदादेवी है। मृतक पर आश्रितों की संख्या को देखते हुए 1/2 भाग स्वयं के व्यय पर खर्च करना माना जावेगा। इस प्रकार आय के मद में वार्षिक हानि 3000 गुणित 1/2 गुणित 12 = 18000 रुपये होगा। मृतक की दुर्घटना के समय उम्र 60 साल की होना पाई गई है। ऐसी दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सरला वर्मा विरुद्ध देहली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन 2009 (ए०सी०जे०) 1298 एस०सी० में दिये गये दिशा निर्देश के परिप्रेक्ष्य में 9 का गुणांक लगेगा। इस प्रकार आय की हानि के मद में कुल प्रतिकर की राशि 18000 गुणित 09=162000 निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त मृतक के अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में चालीस हजार रुपये तथा सहचर्य की हानि के रूप में आवेदिका क्र०-2 को जो कि मृतक की पत्नी है, को 20 हजार रुपये प्रतिकर स्वरूप दिलाया जाना उचित होगा। इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि 2,22,000/- रुपये होगी।

27. उक्त प्रतिकर की राशि की अदायगी के दायित्व का जहाँ तक प्रश्न है, पूर्ववर्ती विवेचना एवं वाद प्रश्नों पर निकाले गये निष्कर्षों पर स्पष्ट है कि बीमा

कंपनी अनावेदक क्र0-3 को प्रतिकर अदायगी का दायित्व नहीं है। उसे दायित्व से मुक्त किया गया है। ऐसी दशा में आवेदक क्र0-2 जिसे कि उक्त प्रतिकर की राशि दिलाई गई है, वह प्रतिकर की राशि अनावेदक क्र0-1 व 2 से प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। उक्त प्रतिकर की राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से उसकी अदायगी दिनांक तक छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक-5:-

28. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में वाद प्रश्नों पर निकाले गये निष्कर्ष के आलोक में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आवेदन पत्र आंशिक रूपसे प्रमाणित होना पाते हुए इस संबंध में निम्न आशय का अवॉर्ड पारित किया जाता है:-

- अ- आवेदिका क्रमांक-2 श्रीमती शारदा देवी अनावेदक क्र0-1 व 2 से संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से 2,22,000/-रुपये (दो लाख बाईस हजार रुपये)प्रतिकर के रूप में प्राप्त करेगी।
- ब- आवेदिका क्र0-2 उक्त राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से वसूली तक छः प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी।
- स- उक्त राशि जमा होने पर उसका 60 प्रतिशत भाग आवेदिका क्र0-2 के नाम पर पांच वर्ष की अवधि के लिये सावधि खाते में जमा की जावे। शेष राशि नगद भुगतान की जावे।

द- अभिभाषक शुल्क एक हजार रुपये निर्धारित किया जाता है।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अति0मोटर दुर्घटना दावा अधि0
गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)
अति0मोटर दुर्घटना दावा अधि0
गोहद जिला भिण्ड